दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार, 12 फरवरी 2022
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रदेश में आज शुष्क रहेगा मौसम

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क रहा। वहीं शनिवार को भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा का आगमन जारी है इसके कारण प्रदेश के मध्य और उत्तर भारत में गिरावट होगी लेकिन बस्तर संभाग में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए अब ऑनलाईन आवेदन अनिवार्य

रायपुर (आरएनएस)। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्थानांतरण अब एनआईसी द्वारा निर्मित वेबसाईट के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके कागज पर भी प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा आज इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण की एण्ट्री संचालनालय लोकशिक्षण द्वारा एनआईसी की वेबसाईट पर की जाएगी तथा उससे निकाले गए प्रिंट को ही फाईल पर लगाकर प्रेषित किया जाएगा। बिना वेबसाईट में एण्ट्री किए कोई प्रशासनिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी एनआईसी के वेबसाईट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों के कार्य मुक्ति और नए स्थान पर ज्वाईनिंग भी एनआईसी की वेबसाईट के माध्यम से ही की जाएगी।

हनुमान मंदिरों में तोडफ़ोड़ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा,फरार आरोपी की तलाश जारी

जांजगीर/रायपुर (आरएनएस)। हनुमान मंदिरों में तोडफ़ोड़ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 10 फरवरी की देर रात गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, एक फरार है। बताया जा रहा है कि मंदिर के सामने शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने तोडफ़ोड़ की थी। घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने देर रात दो मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करा दी। दरअसल, नवागढ़ क्षेत्र के मिसदा गांव और शिवरीनारायण के केरा रोड और दुरबा गांव के पास स्थित हनुमान मंदिरों में बुधवार देर रात तोडफ़ोड़ हुई थी। ताला तोडक़र घुसे असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी। धर्म ध्वज को भी निकाल कर फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने खंडित मूर्ति को पास के ही नहर से बरामद किया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने आरोपियों को पकडऩे के लिए टीम गठित की।

कार चालक की लापरवाही से नर्स हुई घायल,मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। कार चालक के लापरवाही की वजह से स्कूटी सवार नर्स घायल हो गई। मामले की रिपोर्ट सिविललाइन्स थाने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक लोधीपारा रायपुर निवासी आकांक्षा नंद 28 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह मेकाहारा में स्टाप नर्स है, गुरुवार को ड्यूटी पर मेकाहारा अस्पताल रायपुर जा रही थी, करीबन शाम 07.30 बजे आर्चिड बार पंडरी के पास पहुंची थी तभी सामने खड़ी कर कार क्रं सीजी 04 एमआर 7775 का चालक अपने कार के दरवाजा को लापरवाही पूर्वक खोल दिया जिससे वह कार के दरवाजे से टकरा कर गिर गई व चोट लगी है तथा उसका स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुई है। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 279,337 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला दर्ज कर ली है।

तहसील कार्यालय में मारपीट को लेकर थाना चक्रधरनगर में अपराध दर्ज

अधिवक्ता और कर्मचारी एक दूसरे पर लगा रहे मारपीट का आरोप, कार्यालय बन्द कर धरने पर बैठे अधिकारी व कर्मचारी

रायगढ़। दिनांक 11.02.2022 के दोपहर तहसील कार्यालय रायगढ़ में कुछ वकीलों द्वारा तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 व अन्य व्यक्तियों के साथ गाली गलौच मारपीट को लेकर पीड़ित सहायक ग्रेड-3 (विशेष वर्ग का सदस्य होने से नाम विलोपित) तहसील कार्यालय रायगढ़ द्वारा थाना चक्रधरनगर में कार्यवाही को लेकर आवेदन दिया गया जिस पर आरोपित वकीलों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पीड़ित द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर लेख है कि आज दिनांक 11.02.2022 को दोपहर करीब 02 बजे के आसपास तहसील के वकील जितेन्द्र शर्मा, महेश पटेल, दीपक मोडा तथा अन्य के द्वारा गाली गलीच करते हुये कार्यालय में आये और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुये विशेष वर्ग का सदस्य हूँ यह जानते हुये गाली गुफ्तार कर हाथ मुक्का से मारपीट किये। उसके बाद कार्यालय से निकल कर जितेन्द्र शर्मा, महेश पटेल, दीपक मोडा तथा अन्य द्वारा एसडीएम कार्यालय के भृत्य अखिलेश श्रीवास को भी गाली गुप्तार कर हाथ मुक्का से मारपीट किये जिसे बीच बचाव करने आये नायब तहसीलदार के साथ भी गाली गलौच, मारपीट किये हैं। आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 89/2022 धारा 186, 294, 332, 353, 34 भादवि, 3(2)(va) SC /ST ACT का अपराध जितेन्द्र शर्मा, महेश पटेल, दीपक मोडा व अन्य पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं, सभी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है।

अधिवक्ताओ ने रायगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, वहीं कर्मचारी संगठन भी विरोध में कार्यालय बन्द कर बैठे धरने पर

अधिवक्ताओ ने रायगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ के सदस्यों ने राजस्व न्यायालय के अंदर हल्लाबोल दिया । वहीं कर्मचारी संगठन भी विरोध में कार्यालय बन्द कर धरने पर बैठ गए हैं।आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एक चपरासी से मारपीट करने का आरोप है। इस दौरान अपशब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ। अधिवक्ताओं का आरोप है कि कल एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान तहसीलदार सुनील अग्रवाल ने अधिवक्ता जितेंद शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया। साथ ही अपने चपरासी को निर्देशित कर अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया और उनसे मारपीट की गई। फिर उन्हे चक्रधर नगर थाने भी ले जाया गया। इस मामले को लेकर आज अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल कर राजस्व न्यायालय का घेराव कर दिया। इस दौरान तहसीलदार सुनील अग्रवाल के मुर्दाबाद के नारे भी लगे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर तहसीलदार सुनील अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही नही होती है तो संघ हड़ताल करने को बाध्य होगा ।इधर तहसीलदार सुनील अग्रवाल के उनके गृह क्षेत्र में पदस्थापना को लेकर भी अधिवक्ता संघ ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

इस संबंध में अपर कलेक्टर आर.ए कुरुवंशी ने कहा कि मामले की जानकारी ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उसपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो तहसीलदार हो या वकील, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि कल एक अधिवक्ता के साथ तहसीलदार सुनील अग्रवाल ने अभद्र व्यवहार किया था । सारंगढ़ में पदस्थापना के दौरान भी तहसीलदार पर गलत व्यवहार का आरोप लग चुका है । कल तहसीलदार के कहने पर चपरासी द्वारा अधिवक्ता से मारपीट के आरोप पर अधिवक्ताओं ने चपरासी से मारपीट की। तहसील व जिला कार्यालय के कर्मचारियों ने विरोध में काम बंद कर दिया है । वे कार्यवाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं । उनका कहना है कि जब तक दोषी अधिवक्ता पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा।

मारपीट के फरार आरोपी को कोतरारोड पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आरोपी ने रूपये की मांग कर युवक से किया था मारपीट, गैर जमानती धाराओं में भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा मारपीट मामले में करीब एक माह से फरार आरोपी संजय गोप (20 साल) निवासी कोतरारोड़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी द्वारा दिनांक 06.01.2022 के शाम इंदिरा निवास किरोडीमलनगर में रहने वाले आदर्श कुमार गिरी (उम्र 18 वर्ष) के साथ कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास गाली गलौच कर मारपीट किया गया था। घटना के संबंध में आहत आदर्श कुमार गिरी द्वारा दिनांक 06.01.2022 को आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए रूपये मांगने और रूपये नहीं देने पर रोड़ किनारे ईंट उठाकर सिर पर मारकर चोट पहुंचाना बताया गया था रिपोर्ट पर धारा 294, 506, 323, 327 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना के बाद से आरोपी संजय गोप पिता स्व रामराई गोप उम्र 20 साल साकिन नान्हूनगर किरोडीमलनगर रायगढ़ फरार था जिसे आज मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

कृषिधन मवेशियों को झारखंड के बूचड़खाने ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार

- तस्करों से 30 नग मवेशी व ट्रक जब्त
- आरोपियों पर हुई पशुक्रूरता की कार्रवाई

रायगढ़। दिनांक 10/02/2022 के शाम थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक आर.एन.साय को मुखबीर से सूचना मिला कि एक ट्रक में मवेशियों को ठुस-ठुस कर भरकर लारीपानी से लैलूंगा कि ओर ले जा रहा है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा आरक्षक हेलारियुस तिर्की, राजू कुमार के साथ लारीपानी रोड पर नाकेबंदी किये। शाम करीब 06.00 बजे पुलिस टीम द्वारा ट्रक क्रमांक CG 14 D-0201 आते देख रोका गया, पूछताछ करने पर ट्रक का चालक सैफअली खान पिता समीम खान उम्र 26 वर्ष एवं साथी हारून कुरैशी पिता स्व0 समत कुरैशी उम्र 45 वर्ष साकिनान वार्ड क्र0 04 लोहरदगा थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा (झारखण्ड) का निवासी बताये। ट्रक के डाला को चेक करने पर अंदर क्रूरतापूर्वक कृषक मवेशियां थी जिसके संबंध में ड्रायवर और उसके साथी से कड़ी पूछताछ करने पर झारखण्ड ले जाना बताये जिन्हें मवेशियों की तस्करी के संबंध में परिवहन संबंधी कागजात एवं पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र मांग किया गया जिस पर दोनों चुप्पी साधे रहे। आरोपियों द्वारा कृषक मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बूचड़खाने ले जाना पाये जाने पर आरोपियों पर थाना प्रभारी द्वारा छत्तीसगढ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 6, 4 एवं 10 के तहत कार्रवाई करते हुये आरोपियों के कब्जे से 30 नग कृषिधन एवं ट्रक की जप्ती की गई। कृषक मवेशियों के चारा, पानी की व्यवस्था कर आरोपियों को पशूक्रूरता के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

चांदी का मुकुट चोरी करने वाले दो आरोपियों को चक्रधरनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

- कोतरलिया मंदिर से देवी का मुकुट चोरी कर बिक्री की तलाश में थे आरोपीगण

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दिनांक 09.02.2022 की रात्रि कोतरलिया स्टेशनपारा मंदिर से देवी प्रतिमा की मूर्ति चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा गया है जिनसे चोरी गई 11 तोला चांदी की मूर्ति बरामद किया गया है। आरोपियों को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

मंदिर में चोरी के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को मंदिर के पुजारी लक्ष्मण दास वैष्णव द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 09.02.22 के दरम्यानी रात अज्ञात चोर मंदिर में लगा ताला तोड़कर दुर्गा मंदिर से करीब 10-11 तोला का चांदी का मुकुट कीमती करीबन 7000 रूपये को चोरी कर ले गया है। चोरी के रिपोर्ट थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 88/2022 धारा 457, 380 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचनाक्रम में आज दिनांक 10.02.2022 को थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम कोतरलिया स्टेशन पारा में दो व्यक्ति चांदी का सामान बेचने के लिये तलाश कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा पेट्रोलिंग पार्टी के प्रधान आरक्षक लोमश सिंह राजपूत के हमराह स्टाफ कोतरलिया रवाना किया गया, जहां स्टाफ द्वारा दोनों व्यक्तियों की पतासाजी कर उन्हें हिरासत में लिया गया। संदेही अपना नाम पंचू उरांव एवं अशोक तिग्गा निवासी कोतरलिया बताये जिनके पास चांदी के मुकुट के टुकड़े मिले, कड़ी पूछताछ में दोनों 9 फरवरी के दरमियानी रात कोतरलिया के दुर्गा मंदिर से चोरी करना कबूल किया गया। आरोपियों के मेमोरेंडम पर आरोपी पंचू उरांव के कब्जे से चांदी के दो मुकुट का टुकड़ा एवं आरोपी अशोक तिग्गा के कब्जे से मुकुट का एक टुकड़ा और एक लोहे का रॉड, टूटा ताला की जब्ती की गई है। प्रकरण में दो आरोपियों की संलिप्तता पर धारा 34 भादवि जोड़ा गया है। प्रकरण के आरोपी पंचू उरांव पिता यदुनाथ उरांव उम्र 40 वर्ष एवं अशोक तिग्गा पिता नंदलाल तिग्गा उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी कोतरलिया स्टेशनपारा थाना चकरनगर को उपरोक्त नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी में प्रधान आरक्षक लोमश राजपूत, आरक्षक चूडामणी गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही है।

नाबालिग बालिका की आबरू लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 08.02.2022 को थाना लैलूंगा में नाबालिग बालिका के परिजन द्वारा ग्राम दियागढ़ के टीकाराम सिदार पिता कृपाराम सिदार उम्र 20 साल द्वारा पिछले साल कर्मा त्यौहार के समय बालिका को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। बालिका के परिजन बताये कि बालिका का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर ईलाज कराने से उन्हें जानकारी हुई। तब बालिका से पूछताछ किये तो बालिका बताई कि अक्टूबर 2021 में कर्मा त्यौहार के समय टीकाराम इनके गांव आया था, त्यौहार के समय जबरन पकडकर गांव के स्कूल के पास दुष्कर्म किया, लोक लॉज के डर से उस समय कुछ नहीं बताई थी। थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा आरोपी टीकाराम सिदार पर धारा 376 IPC 4, 6 POCSO ACT का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी के लिये उसके निवास दबिश दिया गया। आरोपी रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी पर फरार था, जिसकी सूचना देने थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर लगाया गया था। आज दिनांक 10.02.2022 को मुखबिर सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ में बैंकों द्वारा 39 हजार 170 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का अनुमान

- कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से मॉडल राज्य की ओर अग्रसर: कृषि मंत्री
- नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर (आरएनएस)। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे के मुख्य आतिथ्य में आज नवा रायपुर स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री चौबे ने 'राज्य फोकस पेपर 2022-23' तथा नाबार्ड इन छत्तीसगढ़ पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन अन्बलगन पी., क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व मती ए. शिवगामी ने सेमीनार में भाग लिया।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सेमीनार को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में खेती-किसानी और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की गई है, जिससे बीते तीन सालों में राज्य में कृषि के क्षेत्र में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहां की लगभग 75 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन कृषि पर निर्भर है।

राज्य के विकास के लिए कृषि का विकास होना जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कृषि एवं लघु वनोपज से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने इस स्थिति को देखते हुए बैंकों से राज्य में आधार स्तर पर ऋण में वृद्धि किए जाने की अपील की। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य को वित्तीय सहायता और विकास की गतिविधियों में नाबार्ड की भूमिका की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने विशेषकर सभी सहकारी बैंकों को अपने-अपने ब्रांच एरिया के क्षेत्र में कम से कम 5 एटीएम स्थापित किए जाने का आग्रह किया, ताकि उपभोक्ता किसान सहजता से राशि का आहरण कर सकें।

पुलिस महिला रक्षा टीम महिला व युवतियों को दे रही "अभिव्यक्ति ऐप" की जानकारी

- ऐप के जरिए थाने जाये बगैर महिला करा सकती हैं शिकायत, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं रोकने कारगर सबित होगी ऐप

रायगढ़। महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने व अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं वाले मोबाइल ऐप "अभिव्यक्ति" का शुभारंभ 01 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिवेलप कराये गये इस ऐप के मोबाइल में इंस्टाल होने पर महिलाओं पर घटित हिंसक वारदात या छेड़खानी जैसी घटना पर तत्काल पुलिस महिला के करंट लोकेशन पर सहायता के लिये पहुंचेगी। जिले की महिला रक्षा टीम द्वारा ऐप को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने प्रतिदिन पेट्रोलिंग दौरान गार्डन व पार्क में महिला एवं युवतियों को इस ऐप की जानकारी दी जा रही है ।

आज दिनांक 11.02.2022 को पुलिस महिला रक्षा टीम प्रभारी प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा एवं उनके स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग दौरान कमला नेहरू गार्डन एवं रोज गार्डन पर मौजूद युवतियों को इस ऐप की विशेषताएं बताया गया और उनके मोबाइल पर ऐप इंस्टाल कराया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आसानी से कोई भी अपने मोबाइल पर इंस्टाल कर सकता है। "अभिव्यक्ति ऐप" में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा SOS बदन है। घरेलू हिंसा, मारपीट, छेडखानी या अन्य विपत्ति के समय महिला SOS बटन के दबाते ही 10 सेंकड का विडियो, आडियो लोकेशन सहित कन्ट्रोल रूम रायपुर को जायेगा जिसके तत्काल बाद यूजर के लोकेशन पर पुलिस सहायता के लिये पहुंचेगी। इस ऐप के जरिए कहीं से भी महिलाएं युवती अपनी शिकायत टाईप कर या लिखित शिकायत अपलोड कर भेंज सकती है जो संबंधित पुलिस अधिकारी तक पहुंचेगी, जिसका जांच अधिकारी को समयसीमा में निराकरण करना अनिवार्य है।

रक्षा टीम प्रभारी द्वारा सभी थाने की महिला पुलिसकर्मियों को भी उनके संपर्क में आने वाले सभी महिला, युवतियों को इस ऐप की उपयोगिता बताने और उनके मोबाइल पर इंस्टाल कराने कहा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480